भारत सरकार
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्
दिनांक 25 मई, 2011

दिनांक 25 मई, 2011 को 2 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की तेरहवीं बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक भाग लेने वाले सदस्यों में प्रो0 नरेन्द्र जाधव, प्रो0 प्रमोद टंडन, डॉ. जीन ड्रेजे, डॉ. एन.सी. सक्सेना, श्री माधव गाडगिल, सुश्री अरुणा रॉय, सुश्री अनु अगा, डॉ. ए.के. शिव कुमार, श्री दीप जोशी, सुश्री फराह नकवी, श्री हर्ष मंदेर और सुश्री मीरई चटर्जी शामिल थे।

I – भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास

श्री हर्ष मंदेर ने भूमि अधिग्रहण, **पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास** पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कार्य-समूह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने उचित विचार-विमर्श के बाद वर्तमान के दो अलग-अलग कानूनों यथा – भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2009 और **पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास** विधेयक, 2009 के स्थान पर एक व्यापक कानून यथा, "***राष्ट्रीय विकास, भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास अधिनियम***" की सिफारिश की। इसके अलावा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् यह भी सिफारिश करती है कि प्रस्तावित कानून में निम्नानुसार मुख्य बातें शामिल हैं –

क. एक व्यापक कानून से जबरन विस्थापन हतोत्साहित होगा, और लोगों, बसाहटों, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव-विविधता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों में कमी आएगी। इस कानून से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कृषि भूमि के अधिग्रहण से पहले अधिक बंजर, कम उपजाऊ और परती भूमि के हर संभव विकल्प तलाश लिये गए हैं। इसमें परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और एक न्यायोचित, समय पर क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्स्थापना पैकेज दिया जाना चाहिए जो मानवोचित, सहभागितापूर्ण, सूचित, परामर्शी और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हो तथा उसका कारगर और उचित क्रियान्वयन हो।

ख. इस शर्त पर कि अन्य कम-विस्थापन वाले विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, यह कानून केवल सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण की अनुमति देगा। इसे रणनीतिक और अवसंरचनात्मक प्रयोजनों के लिए और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक अधिग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

ग. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् इस बात से बहुत चिंतित है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अधिग्रहण के कारण अपनी जमीन, आजीविका और मकान खो देते हैं, उन्हें इस कानून की सुरक्षा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और उपयुक्त मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लाभ के अधिकार सभी मामलों में पूरी तरह से रक्षित किये जाएं।

घ. ये प्रक्रियाएं पारदर्शी और सहभागी होंगी, जिनमें प्रभावित समुदायों को पूरी सूचना देने और उनके साथ परामर्श करेन की अपेक्षा की जाएगी।

ड. अधिकतर मामलों में मुआवजे की कीमत कम लगाई जाती है क्योंकि पंजीकृत बिक्रय विलेख कम कीमत के होत हैं। इसलिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् प्रस्ताव करती है कि जिन व्यक्तियों की जमीनें ले ली जाती हैं, उन्हें पंजीकृत बिक्रय विलेख की कीमत का 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी भूमि के समानुदेशिती भी समान मुआवजे के हकदार होंगे। जिन व्यक्तियों की जमीन ली जाती है, उन्हें वार्षिकी वृत्तियों के रूप में उनके मुआवजे को पूरे या आंशिक तौर पर लेने का विकल्प दिया जाएगा।

च. गरीबों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि न केवल उन्हें ही मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनकी जमीनें ली जाती हैं, बल्कि उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनकी आजीविका चली जाती है। इनमें कृषि कामगार, कारीगर, मछुआरा समुदाय और वनोपज इकठ्ठा करने वाले लोग शामिल होंगे। वे 33 वर्षों के लिए प्रतिमाह कम-से-कम 10 दिनों की मजदूरी के बराबर की राशि का अनुदान पाने के हकदार होंगे।

छ. भूमि परिवार की महिलाओं और पुरुषों – दोनों के नाम से दी जाएगी, और अन्य संपत्तियां और नकदी महिलाओं और पुरुषों के संयुक्त खातों में जमा कराई जाएगी।

ज. यदि भूमि का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है और उसे 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाया जाता तो निजी संपत्ति, जिसका अधिग्रहण किया गया है, इसके मूल मालिकों को लौटा दी जानी चाहिए।

झ. तत्काल अनुच्छेउ का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक यह राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रयोजनों के लिए न हो।

ञ. सभी बड़ी परियोजनाओं के लिए एक स्वतंत्र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में परियोजना से होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों और बनाई गई पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना का मूल्यांकन किया जाएगा।

ट. पुनर्वास और पुनर्स्थापना पैकेज, परियोजना से प्रभावित परिवारों का कानूनी अधिकार है और इसे भूमि के अधिग्रहण की घोषणा करते हुए अधिसूचना की धारा 6 के साथ अधिसूचित किया जाएगा।

ठ. प्रभावित परिवार के कम-से-कम एक व्यक्ति को उसके कौशल के अनुसार व्यावसायिक परियोजनाओं में उपलब्ध रोजगार में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

ड. राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना आयोग का गठन किया जाना चाहिए और इसे पर्यवेक्षण का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना पर नजर रखने के कार्य का अधिकार दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना आयोग द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा, जो कार्यों की सूची जारी करके राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी तय करने पर आधारित होगा।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने कार्य-समूह को सलाह दी कि वह उन शेष मुख्य तत्वों का ब्यौरा तैयार करे, जिन पर चर्चा किए जाने की जरूरत हो।

II. समेकित बाल विकास सेवाएं

1. सुश्री मीरई चटर्जी और डॉ. ए.के. शिवकुमार ने समेकित बाल विकास सेवाओं में सुधारों पर कार्य-समूह के प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण किया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने सरकार को प्रस्तावित समेकित बाल विकास सेवाओं में सुधार के ढांचे की सिफारिश करने का निर्णय किया। इन प्रस्तावों में समेकित बाल विकास सेवाओं में व्यापक बदलावों का सुझाव है और इसके साथ-साथ मुख्य कार्यनीतियों और व्यापक सुधार पैकेजों की संस्तुति की गई है, जिससे समेकित बाल विकास सेवाओं की प्रदायगी में संस्थानिक, कार्यक्रम संबंधी और प्रबंधकीय कमियों को दूर किया जाएगा।
2. यदि समेकित बाल विकास सेवाओं को परिणाम दिखाने हैं, तो बाल्यावस्था की शुरुआती देखभाल और विकास के लिए एक समेकित जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

3. मुख्य कार्यनीति में सेवाओं के पूर्ण पैकेज शामिल किये जाने चाहिए, जिनमें आहार दिये जाने के अलावा 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये 1000 दिन का अनुकूल महौल पैदा करना, सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के जरिए बाल उत्तरजीविता और विकास, बाल्यावस्था के प्रारंभ में देखभाल और विकास, क्रेच सुविधाओं का प्रावधान और प्रभावी प्रारंभिक बाल शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।

4. मुख्य कार्यनीति के अन्य तत्वों में विकेन्द्रीकृत प्रबंधन और एक लचीली व्यवस्था, गृह-आधारित पोषण के संबंध में परामर्श और इससे जुड़ी सेवाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सामुदायिक स्वामित्व, पोषाहार कल्याण पर व्यापक सार्वजनिक शिक्षा और विभिन्न स्तरों (गांव, प्रखण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय) और विभिन्न सेक्टरों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए।

5. कार्यक्रम संबंधी सुधारों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में पर्याप्त और उपयुक्त संसाधन हों, ताकि सुविधाजनक समय के साथ दिनभर की क्रेच सुविधाएं दी जा सकें, सभी बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जा सके, प्रारंभिक बाल शिक्षा की व्यवस्था हो और पौष्टिकता और स्वास्थ्य के बारे में परामर्श दिया जा सके। इसके अलावा, ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चों के प्रभावी ढंग से विकास की निगरानी, जल्दी जांच हो सके और ऐसे बच्चों की पहचान की जा सके जिन पर विशेषतौर पर ध्यान देने की जरूरत है और जो ज्यादा कुपोषित हैं। इसके साथ ही देखभाल के बारे में शिक्षा और जानकारी भी सुनिश्चित की जा सके।

6. प्रबंधकीय सुधारों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नतीजे जवाबदेह हों, सेवाओं की एक साथ सुलभता हो, पंचायतें, गैर-सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन सक्रियता के साथ काम करते हों, अनिवार्य सामाजिक लेखा जांच के साथ-साथ बेहतर निगरानी हो और स्वंतत्र मूल्यांकन हो। आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर संसाधनों के बेहतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नई उदार वित्तीय व्यवस्थाएं करने और केन्द्र और राज्यों के बीच लागत-हिस्सेदारी की समीक्षा करने पर विचार किये जाने की जरूरत है।

7. संस्थागत सुधारों में एक भारतीय पोषण मिशन स्थापित करना शामिल है ताकि गुणवत्ता के साथ समेकित बाल विकास सेवाओं की प्रदायगी में तेजी लाकर और समय-बद्ध कार्य-योजना तैयार करके देशभर में बच्चों में कुपोषण में कमी लाई जा सके। इस भारतीय पोषण मिशन का एक अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री के स्तर का) होगा और इसमें संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी होंगे। इस मिशन के स्टाफ में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और परामर्शदाता शामिल होने चाहिए, और इसे उपयुक्त ढांचे और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि सामुदायिक स्तर पर

तकनीकी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस मिशन को अगले 6 महीनों में संबंधित लोगों के साथ एक गहन और विस्तृत विचार-विमर्श करना चाहिए और एक मिशन दस्तावेज तैयार करना चाहिए जिसमें दृष्टिकोण, लक्ष्य, कार्यनीति और विस्तृत समय-बद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। चरणबद्ध विकल्पों के ब्यौरे तैयार करने की जरूरत होगी, जिनमें कुपोषण से सर्वाधिक असुरक्षित 200 जिलों में प्रस्तावित पहल और देशभर में बेहतर समेकित बाल विकास सेवाएं चलाना शामिल होगा।

8. अंत में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने कुछ राज्यों द्वारा सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एक पूर्व-प्राथमिक वर्ग शुरू करने के उनके विचाराधीन प्रस्ताव का समर्थन किया।

***

III – हाथों से मैला ढोने का उन्मूलन

श्री हर्ष मंदेर ने हाथों से मैला ढोने के उन्मूलन पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों का समर्थन करते हुए श्री हर्ष मंदेर ने इस बात पर जारे दिया कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना केवल स्वच्छता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि संविधान द्वारा सभी नागरिकों को मानव प्रतिष्ठा की गारंटी के रूप में देखते हुए इसका हल निकालने की जरूरत है। उन्होंने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया कानून बनाने की जरूरत को रेखांकित किया क्योंकि हाथों से मैला ढोने वालों का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 अपने लागू होने के 18 वर्ष के बाद भी इस अमानवीय प्रथा का उन्मूलन करने में विफल रहा है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने हाथों से मैला ढोने पर एक नया कानून लाने की सिफारिश करने का निर्णय किया है जिसकी निम्नलिखित अनिवार्य विशेषताएं होंगी –

- शुष्क शौचालयों को तत्काल ध्वस्त करना और शुष्क शौचालयों में मानव-मल को हाथों से उठाने वालों की इस काम से तत्काल मुक्ति (जो 1993 अधिनियम की संकीर्ण परिभाषा के तहत आता है) और उनके लिए पूर्ण पुनर्वास पैकेज।
- सीवर सफाई में लगे लोगों और रेलवे में इस प्रकार के कार्य में लगे लोगों को इस काम से मुक्ति दिलाने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन इसे इस कानून के लागू होने से **5 वर्षों से ज्यादा नहीं होना चाहिए।**
- व्यक्तियों की पहचान कर लेने के 3 महीनों के भीतर आजीविका पुनर्वास लागू करना। सभी परिवारों, जिनमें एक या एक से अधिक सदस्य हाथों से मैला ढोने के काम में लगे थे, को एक गारंटीयुक्त बीपीएल कार्ड। इस काम से मुक्ति पाए व्यक्तियों के लिए विशेष गृह योजना। इन परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा पैकेज, जिसमें निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति की व्यवस्था शामिल हो। सीवर की सफाई और रेलवे में ऐसे कामों में लगे लोगों को इन कामों से निजात तकनीकी बदलावों के साथ दिलाई जाएगी, जो इनके व्यवसाय को मानवीय, प्रतिष्ठापूर्ण और सुरक्षित बनाएगा और इन्हें मानव-मल से सीधे संर्पक से बचाएगा।
- इस बात की गारंटी कि इस अधिनियम के लागू होने के समय कोई भी व्यक्ति जो इन कामों में दिहाड़ी पर, संविदा पर अथवा नियमित रोजगार में हो, उसे निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उसकी सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी।

IV– रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कानून

सुश्री मिरई चटर्जी और श्री हर्ष मंदेर ने रेहड़ी-पटरी वालों से जुड़े मुद्दों को प्रस्तुत किया। उनके विचार थे कि रेहड़ी-पटरी लगाना, नगर निगम के विनियमों का मामला नहीं है, बल्कि यह काफी बड़ी संख्या में शहरी गरीब परिवारों की आजीविका, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हालांकि रेहड़ी-पटरी वालों पर राष्ट्रीय नीति मौजूद है, लेकिन दोनों सदस्यों ने इसके कार्यान्वयन की बड़ी कमियों के बारे में बताया कि इसमें कानूनी रूप से लागू कराने की कमी है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने समुचित विचार-विमर्श के बाद रेहड़ी-पटरी वालों पर राष्ट्रीय नीति की महत्वपूर्ण बातों को लेकर एक केन्द्रीय कानून बनाने की संस्तुति करने का निर्णय लिया।

1. इस अधिनियम का उद्देश्य वर्तमान में रेहड़ी-पटरी लगाकर रोजगार और आजीविका चला रहे लोगों की सुरक्षा बरकरार रखते हुए, उभरते शहरों में रोज़गार के भावी विकास के अवसर उपलब्ध कराना है और उपभोक्ता, राहगीरों और यातायात के हितों की सुरक्षा भी करना है।
2. इस कानून में नैसर्गिक बाजारों के सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये विक्रय स्थल, साप्ताहिक बाजारों और वहन क्षमता को तय करते हैं।
3. सम्मिलित किये जाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की संख्या तय करने के लिए न्यूनतम संख्यात्मक मानक निर्धारित किये जाने चाहिए। यह भी संस्तुति की गई कि रेहड़ी-पटरी लगाने वालों के लिए 2% शहरी भूमि निश्चित की जानी चाहिए।
4. प्रत्येक कस्बे में रेहड़ी-पटरी वालों की एक समिति के लिए एक शहर रेहड़ी-पटरी विवाद निपटान मंच का गठन किया जाना चाहिए।
5. उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।
6. रेहड़ी-पटरी वालों को एक कानूनी व्यवसायी के रूप में पहचाना जाना चाहिए और वहनीय मूल्य पर खुदरा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी आजीविका सुरक्षित की जानी चाहिए।

7. एक जगह से दूसरी जगह और एक ही स्थान पर बैठकर व्यापार करने वाले विक्रेताओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रियाओं, जब्ती और स्थान खाली कराने की प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए और केन्द्रीय कानून में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।
8. ऊपर उल्लिखित सभी प्रक्रियाओं के संबंध में सुदृढ़ और अनिवार्य पारदर्शी प्रावधान किये जाने चाहिए।

V– विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां

डॉ. नरेन्द्र जाधव ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों पर कार्य-दल द्वारा शुरु किये गए विचार-विमर्श से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् को अवगत कराया। यह कार्य-दल विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए संस्तुतियां तैयार करने हेतु विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के प्रतिनिधियों और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श करेगा।

VI – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

1. पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन पर कार्य-समूह की संयोजक सुश्री अरुणा रॉय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना पर कार्य-समूह की संस्तुतियों को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने सरकार को निम्नलिखित संस्तुतियां करने का निर्णय लिया है।

क. सामाजिक लेखा जांच नियमों को जल्दी से अधिसूचित करना।

ख. ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक मिशन स्थापित करके और केन्द्रीय रोज़गार परिषद् के लिए तकनीकी सहायता एकक स्थापित करके संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना।

ग. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर स्रोत समूहों के जरिए राज्यों को तकनीकी सहायता, जैसे–

- मजदूरी का भुगतान।
- पारदर्शिता और जवाबदेही, शिकायत निवारण (सामाजिक लेखा जांच सहित)

- आयोजना, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और अनुमन्य कार्यों की श्रेणी का विस्तार।
- काम की मांग।
- क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, स्टाफ और प्रबंधन।

VI – नये कार्यदलों का गठन

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने असंगठित कामगारों के लिए i.) दलित मुद्दों, ii.) लिंग और स्त्री-पुरुष अनुपात तथा iii.) सामाजिक सुरक्षा पर 3 कार्य-समूहों के गठन का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की आगामी बैठक 22 जून, 2011 को **निर्धारित की गई है।**

***